"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 507] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 26 सितम्बर 2014—आश्विन 4, शक 1936

सहकारिता विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक/एफ 12–5/15–2/2014 नया रायपुर, दिनांक 26 सितम्बर 2014

सहकारी शक्कर कारखाना को आर्थिक सहायता हेतु नियम

प्रस्तावना :–

इस योजना के अंतर्गत नवीन सहकारी शक्कर कारखाने की स्थापना एवं स्थापित कारखाने के विस्तार हेतु तथा कारखाना द्वारा कृषकों से समर्थन मूल्य में गन्ना खरीदी करने एवं कारखाने के संचालन के लिए आवश्यक कार्यशील पूंजी हेतु, राज्य शासन द्वारा आर्थिक सहायता ऋण, अंशपूंजी में धनवेष्ठन तथा अनुदान के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी।

01. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ तथा विस्तार :–

(एक) यह नियम **"सहकारी शक्कर कारखाना को आर्थिक सहायता हेतु नियम 2014"** कहलाएगा।

(दो) यह नियम 1 अप्रैल, 2014 से प्रभावशील होगा।

(तीन) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा तक होगा ।

02. परिभाषाएं :–

(एक) **कारखाना।**–"कारखाना" का अभिप्राय "सहकारी शक्कर कारखाना" से है।

(दो) **पंजीयक** –"पंजीयक" का अभिप्राय सहकारी संस्थाओं के पंजीयक से है और उसमें सम्मिलित है सहकारी संस्थाओं के अपर पंजीयक, संयुक्त पंजीयक, उप पंजीयक, सहायक पंजीयक अथवा ऐसा कोई अधिकारी जो संस्था के लिए रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सक्षम हो।

03. पात्रता :–

(एक) राज्य शासन की स्वीकृति पर नवीन सहकारी शक्कर करखाने की स्थापना एवं स्थापित शक्कर कारखाने के विस्तार हेतु राज्य शासन द्वारा निर्धारण किए जाने पर आर्थिक सहायता दी जा सकेगी।

(दो) कारखाना इस योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता हेतु, प्रदेश में स्थापित ऐसे सहकारी शक्कर कारखाना जो गन्ना पेराई का कार्य कर रहे हैं तथा बकाया शासकीय राशि की अदायगी करने में सक्षम है, पात्र होंगे।

04. राज्य शासन द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता :–

(एक) कारखाना को दी जाने वाली आर्थिक सहायता के लिए आवश्यक बजट प्रावधान सहकारिता विभाग द्वारा किया जावेगा।

(दो) कारखाना को राज्य शासन द्वारा आर्थिक सहायता ऋण, धनवेष्ठन (अंशपूंजी) एवं अनुदान के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी।

(तीन) **ऋण :–**

(i) राज्य शासन की स्वीकृति पर नवीन सहकारी शक्कर कारखाने की स्थापना एवं स्थापित शक्कर कारखाने के विस्तार हेतु ऋण के रूप में आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जायेगी। कारखाने को दी जाने वाली ऋण (टर्म लोन) राशि का निर्धारण पंजीयक/राज्य शासन द्वारा किया जावेगा।

(ii) कारखाना को गन्ना खरीदी एवं कारखाना के संचालन हेतु कार्यशील पूंजी ऋण के रूप में आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। कारखाने को दी जाने वाली ऋण राशि का निर्धारण पंजीयक/राज्य शासन द्वारा किया जावेगा।

(iii) कारखाना को कंडिका (तीन) (ii) हेतु दिए जाने वाले ऋण पर प्रभारित ब्याज दर 9.5% होगी।

(iv) कारखाना द्वारा किस्त की अदायगी में चूक करने पर 3% दण्ड ब्याज देय होगा।

(v) कार्यशील पूंजी ऋण की वापसी की अधिकतम अवधि एक वर्ष होगी या स्वीकृति आदेश में वापसी की तिथि का उल्लेख किया जावेगा।

(vi) नवीन सहकारी शक्कर कारखाने की स्थापना एवं स्थापित कारखाने के विस्तार हेतु दिए गए टर्म लोन की शर्तों का उल्लेख स्वीकृति आदेश में किया जावेगा।

(चार) **अंशपूंजी में धनवेष्ठन :–**

(i) राज्य शासन की स्वीकृति पर नवीन सहकारी शक्कर कारखाने की स्थापना एवं स्थापित शक्कर कारखाने के विस्तार हेतु आवश्यक होने पर पंजीयक के प्रस्ताव अनुसार एवं राज्य शासन की स्वीकृति पर अंशपूंजी में धनवेष्ठन द्वारा आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा सकेगी।

(ii) स्वीकृत अंशपूंजी की राशि सामान्यतः 05 वर्ष पश्चात् 10 सामान किश्तों में वापसी होगी।

(पाँच) **अनुदान :–**

कारखाने को किसी विशेष कार्य हेतु राज्य शासन की स्वीकृति पर अनुदान दिया जावेगा।

05. आहरण एवं भुगतान की प्रक्रिया :–

(एक) कारखाने द्वारा आर्थिक सहायता की राशि के निर्गमन का प्रस्ताव पंजीयक द्वारा अपनी अनुशंसा सहित सहकारिता विभाग, छत्तीसगढ़ शासन को प्रेषित किया जावेगा।

(दो) कारखाने द्वारा मांग की गई आर्थिक सहायता हेतु प्रस्ताव निर्धारित आवेदन पत्र (परिशिष्ट–1) में संचालक मण्डल के प्रस्ताव एवं विगत वर्षों के वित्तीय पत्रक सहित प्रस्तुत किया जावेगा।

(तीन) कारखाने द्वारा मांग की गई ऋण राशि हेतु निर्धारित प्रपत्र (परिशिष्ट–2) में अनुबंध पत्र देना होगा।

(चार) कारखाने द्वारा मांग की गई ऋण राशि हेतु निर्धारित प्रपत्र (परिशिष्ट–3) में मांग वचन पत्र देना होगा।

(पांच) आर्थिक सहायता के प्रस्ताव में नियमों का उल्लंघन किये जाने पर दिए जाने वाली आर्थिक सहायता रोकने/स्थगित करने का अधिकार पंजीयक/राज्य शासन को होगा।

06. उपयोगिता प्रमाण पत्र :–

दी गई आर्थिक सहायता का उपयोगिता प्रमाण पत्र (परिशिष्ट–4) जिले के संयुक्त/उप/सहायक पंजीयक द्वारा सत्यापित कराकर पंजीयक सहकारी संस्थाएं को प्रस्तुत किया जावेगा। पंजीयक सहकारी संस्थाएं द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र राज्य शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।

07. विविध :–

(एक) राज्य शासन/पंजीयक को इस नियम के सुचारू रूप से संचालन एवं क्रियान्वयन के लिए आवश्यक प्रशासनिक मार्गदर्शन, निर्देश एवं स्पष्टीकरण जारी करने का अधिकार होगा।

(दो) इस नियम में संशोधन करने का अधिकार राज्य शासन को होगा ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. डी. सिंह, विशेष सचिव.

परिशिष्ट–1

सहकारी शक्कर कारखाना को आर्थिक सहायता हेतु आवेदन पत्र

1. सहकारी शक्कर कारखाने का नाम – ....
2. पंजीयन क्र. एवं दिनांक – ....
3. वित्तीय वर्ष – ....
4. अध्यक्ष का नाम – ....
   प्रबंध संचालक का नाम – ....
5. आर्थिक सहायता का उपयोग जिस कार्य में किया जाएगा का विवरण – ....
6. विभागीय आयोजना बजट का विवरण जिसमें राशि की मांग की गई है। –

मांग संख्या	योजना क्रमांक	योजना का नाम
17/41	5055	सहकारी शक्कर कारखाना

7. आवेदित आर्थिक सहायता राशि का विवरण – राशि रूपये ....

	ऋण	अंशपूंजी	अनुदान
राशि लाख में			

8. संस्था की आर्थिक स्थिति का विवरण – विगत तीन वर्षों की जानकारी निम्नानुसार है :–

क्र.			वर्ष	वर्ष	वर्ष
1	अंश पूंजी –	सदस्य			
		समितियां			
		शासन			
		कुल			
	शासन की अंशपूंजी का प्रतिशत				
2	रक्षित एवं अन्य निधियां				
3	कार्यशील पूंजी				
4	शुद्ध लाभ/हानि				
5	संचित लाभ/हानि				

9. संस्था के पास उपलब्ध नगद राशि का विवरण –

1. नगद राशि	–
2. बैंक खाते में	–
3. योग	–

10. संस्था द्वारा वर्तमान में किए जा रहे व्यवसाय का विवरण — विगत तीन वर्षों का गन्ना पेराई एवं उत्पादन की जानकारी निम्नानुसार है :–

वर्ष	गन्ना पेराई लक्ष्य	गन्ना पेराई (मे.टन में)	शक्कर उत्पादन (क्विंटल में)

11. विगत वर्षों में राज्य शासन से प्राप्त राशि वापस की गई एवं बकाया राशि का विवरण — विगत वर्षों की जानकारी निम्नानुसार है :– (आवश्यक होने पर बकाया की जानकारी अलग प्रपत्र में संलग्न करें)

(1) बकाया ऋण –

वर्ष	प्राप्त राशि	वापस की गई राशि		बकाया राशि		
		मूलधन	ब्याज	मूलधन	ब्याज	दण्ड ब्याज

(2) अंश पूंजी –

वर्ष	प्राप्त राशि	ड्यू किस्त की राशि		वापस की गई राशि	
		अवधि	राशि	दिनांक	राशि

(जमा राशि के चालान की प्रति संलग्न करें)

संलग्न :–

1. विगत तीन वर्षों के वित्तीय पत्रक।
2. विगत वर्ष प्राप्त राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र।
3. संचालक मण्डल का प्रस्ताव।
4. केश फ्लो पत्रक।

प्रबंधक संचालक
(सील)

उपरोक्तानुसार रु. .... की शासकीय आर्थिक सहायता प्रदान करने की अनुशंसा की जाती है।

उप/सहायक पंजीयक
(सील)

परिशिष्ट--2

अनुबंध पत्र

स्थान : ....
दिनांक : ....

मैं/हम .... पिता/पति ....प्रबंध संचालक, ... सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित, ... पं. क्र. ....(जिसे इस अनुबंध पत्र में आगे ऋणी संस्था कहा गया है) के द्वारा ....ऋण हेतु आवेदन पत्र दिनांक .... के परिप्रेक्ष्य में छत्तीसगढ़ शासन सहकारिता विभाग (जिसे इस अनुबंध पत्र में आगे ऋणदाता कहा गया है) कार्यालय .... के ऋण स्वीकृति पत्र/आदेश क्रमांक ....दिनांक के द्वारा राशि .... अक्षरी .... अवधि ....वर्षीय ऋण स्वीकृत किया गया है। ऋण स्वीकृति पत्र आदेश में उल्लेखित शर्त क्रमांक .... से .... तक का पालन करना दोनों पक्षकारों ऋणी एवं ऋणदाता हेतु बाध्यकारी होगा। ऋण स्वीकृति के शर्तो के उल्लंघन की दशा में ऋणी संस्था के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही का अधिकार नियमानुसार छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग (ऋणदाता) को होगा। उपरोक्तानुसार स्वीकृत ऋण संवितरण/निर्गमन दिनांक .... को किया गया है। ऋण की राशि .... अक्षरी रूपये .... एवं ब्याज दर .... वार्षिक है।

इसके अतिरिक्त अनुबंध की निम्नानुसार शर्ते होगी जिसका पालन दोनों पक्षकारों हेतु बाध्यकारी होगी :--

1. निर्धारित समयावधि में ऋण अदायगी में चूक की दशा में 3% वार्षिक दण्ड ब्याज प्रभारित किया जावेगा जिसका संदाय चूककर्ता ऋणी संस्था को करना होगा।
2. ऋण की अदायगी एक मुस्त की जायेगी। ऋण अदायगी हेतु देय तिथि ....होगी/ऋण की अदायगी .... वर्ष पश्चात् .... समान किस्तों में की जावेगी।
3. ऋण की अदायगी हेतु राशि शासकीय कोषालय में .... लेखाशीर्ष में जमा की जावेगी।
4. प्राप्त ऋण राशि का उपयोग आवेदित कार्य के अतिरिक्त किसी भी अन्य प्रयोजन में किसी भी दशा में नहीं किया जावेगा।
5. ऋण राशि की दुरूपयोग की दशा में ऋण राशि की एकमुश्त वापसी एवं अन्य दण्डिक कार्यवाही हेतु ऋणी संस्था के अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जवाबदार होंगे।

यह अनुबंध पत्र आज दिनांक .... को पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़, रायपुर एवं .... सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित, ...पं. क्र. .... के मध्य निष्पादित किया गया। अनुबंध की शर्तो के पालन में चूक की दशा में अधोहस्ताक्षरकर्ता व्यक्तिगत रूप से जवाबदार होंगे।

हस्ताक्षर
उप/सहायक पंजीयक
सहकारी संस्थाएं
....

हस्ताक्षर
ऋणी संस्था

साक्षी :--

नाम, पता एवं हस्ताक्षर

1. ....
....

2. ....
....

परिशिष्ट—3

मांग वचन पत्र

स्थान :— ....
दिनांक :— ....

मैं / हम .... पिता / पति .... प्रबंध संचालक, ... सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित, ... पं. क्र. .... जिला .... पंजीयक, सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़, रायपुर द्वारा मांग किये जाने पर अथवा उनके आदेशानुसार रु. .... अक्षरी .... मात्र .... हेतु ऋण रु. ....अक्षरी .... ब्याज दर ....% प्रतिवर्ष अदा करने का एतद्द्वारा वचन देता / देते हूं / हैं।

Revenue Stamp

गवाह

हस्ताक्षर ....
नाम ....

पता ....
....

प्रबंध संचालक
संस्था का नाम एवं पता

परिशिष्ट—4

उपयोगिता प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि, ... सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित, ... जिला.................................. को छत्तीसगढ़ शासन सहकारिता विभाग से मांग संख्या .... मुख्य लेखाशीर्ष .... योजना क्रमांक...............में प्राप्त ऋण/अंशपूंजी की राशि रु. .... का उपयोग योजना के उद्देश्य अनुसार कर लिया गया है।

सत्यापन करने वाले
अधिकारी का हस्ताक्षर
(उप/सहायक पंजीयक)

प्रबंध संचालक
(सील)

क्रमांक / एफ 12–6 / 15–2 / 2014 नया रायपुर, दिनांक 26 सितम्बर 2014

आदिम जाति एवं प्राथमिक कृषि साख, सहकारी समितियों के अंशक्रय हेतु अनुदान, नियम

प्रस्तावना :–

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत संचालित इस योजना द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों एवं आदिम जाति कृषि साख, सहकारी समितियों के नये सदस्य बनाने के लिए अंशक्रय हेतु अनुदान उपलब्ध कराया जाता है।

01. उद्देश्य :–

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को आदिम जाति कृषि साख सहकारी समितियों के सदस्य बनाने तथा कमजोर वर्ग के हरिजन कृषकों एवं श्रमिकों को प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के सदस्य बनाने हेतु, समिति का अंशक्रय करने के लिए अनुदान उपलब्ध कराने से इन वर्गों के सदस्यों को समितियों के माध्यम से कृषि कार्यों हेतु ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध होगा एवं समितियों द्वारा संचालित अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त हो सकेगा।

02. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ तथा विस्तार :–

(एक) यह नियम "**आदिम जाति एवं प्राथमिक कृषि साख, सहकारी समितियों के अंशक्रय हेतु अनुदान नियम, 2014**" कहलाएगा।

(दो) यह नियम 1 अप्रैल, 2014 से प्रभावशील होगा।

(तीन) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा तक होगा ।

03. परिभाषाएं :–

(एक) **अनुसूचित जाति** :– "अनुसूचित जाति" का अभिप्राय है, कोई जाति, मूलवंश या जनजाति या किसी जाति, मूलवंश या जनजाति का भाग या उसमें का यूथ जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन छत्तीसगढ़ राज्य के संबंध में उस रूप में विनिर्दिष्ट है।

(दो) **अनुसूचित जनजाति** :– "अनुसूचित जनजाति" का अभिप्राय है, कोई जनजाति, जनजाति समुदाय या किसी जनजाति या जनजाति समुदाय का भाग या उसमें यूथ जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन छत्तीसगढ़ राज्य के संबंध में उस रूप में विनिर्दिष्ट है।

(तीन) **सीमांत कृषक** :– सीमांत कृषक से अभिप्राय ऐसे कृषक से है, जो एक हेक्टेयर (2.50 एकड़) अथवा उससे कम भूमि धारित करने वाला कृषक हो।

(चार) **लघु कृषक** :– लघु कृषक से अभिप्राय ऐसे कृषक से है, जो एक हेक्टेयर से अधिक परंतु दो हेक्टेयर (5.00 एकड़) तक की भूमि धारित करने वाला कृषक हो।

(पाँच) **समिति** :– "समिति" का अभिप्राय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति / वृहत्ताकार प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति / कृषक सेवा सहकारी समिति / आदिम जाति बहुद्देशीय सहकारी समिति से है।

(छः) **पंजीयक** :– "पंजीयक" का अभिप्राय सहकारी संस्थाओं के पंजीयक से है और उसमें सम्मिलित है सहकारी संस्थाओं के अपर पंजीयक, संयुक्त पंजीयक, उप पंजीयक, सहायक पंजीयक अथवा ऐसा कोई अधिकारी जो संस्था के लिए रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सक्षम हो।

04. पात्रता :–

(एक) इस योजना के अंतर्गत आदिम जाति एवं प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के कार्यक्षेत्र में रहने वाले अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के लघु एवं सीमांत कृषक ही पात्र होंगे।

(दो) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के लघु एवं सीमांत कृषको **को समितियों** की नवीन सदस्यता ग्रहण करने के लिए ही अंशक्रय हेतु अनुदान दिया जायेगा।

(तीन) अंशक्रय अनुदान की राशि पात्र कृषकों को नगद नहीं दी जावेगी। यह राशि समिति द्वारा सदस्य के अंशपूंजी खाते में जमा की जावेगी।

05. राज्य शासन द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता :–

(एक) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के लघु एवं सीमांत एक कृषक को समिति की सदस्यता हेतु अधिकतम रूपये 500 की आर्थिक सहायता अंशक्रय अनुदान के रूप में दी जावेगी।

(दो) किसी समिति को इस योजनान्तर्गत अनुसूचति जाति एवं अनुसूचित जन जाति वर्ग के नये सदस्य बनाने हेतु एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम रूपये 50,000 (रूपये पचास हजार मात्र) की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जावेगी।

(तीन) संस्था के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता के लिए आवश्यक बजट प्रावधान सहकारिता विभाग द्वारा किया जावेगा।

06. आहरण एवं भुगतान की प्रक्रिया :–

(एक) समिति का प्रस्ताव संबंधित जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के द्वारा संकलित कर जिले के उप/सहायक पंजीयक के माध्यम से पंजीयक को प्रस्तुत किया जावेगा। पंजीयक द्वारा अनुशंसा सहित प्रस्ताव राज्य शासन को प्रेषित किया जाएगा।

(दो) आर्थिक सहायता के प्रस्ताव में नियमों का उल्लंघन किये जाने पर दिए जाने वाली आर्थिक सहायता रोकने/स्थगित करने का अधिकार पंजीयक/राज्य शासन को होगा।

07. उपयोगिता प्रमाण पत्र :–

दी गई आर्थिक सहायता का उपयोगिता प्रमाण पत्र जिले के संयुक्त/उप/सहायक पंजीयक द्वारा सत्यापित कराकर पंजीयक सहकारी संस्थाएं को प्रस्तुत किया जावेगा। पंजीयक सहकारी संस्थाएं द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र राज्य शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।

08. विविध :–

(एक) राज्य शासन/पंजीयक को इस नियम के सुचारू रूप से संचालन एवं क्रियान्वयन के लिए आवश्यक प्रशासनिक मार्गदर्शन, निर्देश एवं स्पष्टीकरण जारी करने का अधिकार होगा।

(दो) इस नियम में संशोधन करने का अधिकार राज्य शासन को होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. डी. सिंह, विशेष सचिव.

क्रमांक / एफ 12—7 / 15—2 / 2014 नया रायपुर, दिनांक 26 सितम्बर 2014

आदिम जाति कृषि साख सहकारी समितियों को प्रबंधकीय अनुदान, नियम

प्रस्तावना :—

अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत संचालित इस योजना द्वारा आदिम जाति कृषि साख सहकारी समितियों को प्रबंधकीय हानि की प्रतिपूर्ति के लिए प्रबंधकीय अनुदान उपलब्ध कराया जाता है।

01. उद्देश्य :—

अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में पंजीकृत आदिम जाति कृषि साख सहकारी समितियां शासन की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का संचालन कर रही है। इन समितियों को विभिन्न योजनाओं के संचालन में प्रबंधकीय वित्तीय भार अधिक होने पर हानि हो रही है। अतः ऐसी समितियों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाये रखने के लिए प्रबंधकीय अनुदान उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है। ताकि समिति अपने व्यवसायिक कार्यों का संचालन सुचारू रूप से कर सके।

02. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ तथा विस्तार :—

(एक) यह नियम **"आदिम जाति कृषि साख सहकारी समितियों को प्रबंधकीय अनुदान, नियम, 2014"** कहलाएगा।

(दो) यह नियम 1 अप्रैल, 2014 से प्रभावशील होगा।

(तीन) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा तक होगा ।

03. परिभाषाएं :—

(एक) **समिति** :— "समिति" का अभिप्राय आदिम जाति कृषि साख सहकारी समिति से है।

(दो) **पंजीयक** :— "पंजीयक" का अभिप्राय सहकारी संस्थाओं के पंजीयक से है और उसमें सम्मिलित है सहकारी संस्थाओं के अपर पंजीयक, संयुक्त पंजीयक, उप पंजीयक, सहायक पंजीयक अथवा ऐसा कोई अधिकारी जो संस्था के लिए रजिस्ट्रार की भाक्तियों का प्रयोग करने के लिए सक्षम हो।

04. पात्रता :—

(एक) इस योजना के अंतर्गत केवल आदिम जाति कृषि साख सहकारी समितिया ही पात्र होंगी।

(दो) इस योजना के अंतर्गत समिति जिन्हें विगत वर्ष रूपये 10,000 से अधिक की हानि हुई हो, उन्हीं समितियों को प्रबंधकीय अनुदान की प्रात्रता होगी।

05. राज्य शासन द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता :—

(एक) नियम 04 के अनुसार पात्र आदिम जाति सेवा सहकारी समितियों को अधिकतम रूपये 10,000 तक की आर्थिक सहायता प्रबंधकीय अनुदान के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी।

(दो) इस योजनान्तर्गत किसी समिति को प्रबंधकीय अनुदान के रूप में आर्थिक सहायता दिये जाने के पश्चात् आगामी तीन वर्षो तक पुनः आर्थिक सहायता नहीं दी जावेगी।

(तीन) संस्था के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता के लिए आवश्यक बजट प्रावधान सहकारिता विभाग द्वारा किया जावेगा।

06. आहरण एवं भुगतान की प्रक्रिया :—

(एक) समिति का प्रस्ताव संबंधित जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के द्वारा संकलित कर जिले के उप/सहायक पंजीयक के द्वारा परीक्षण उपरांत पंजीयक को प्रस्तुत किया जावेगा। पंजीयक द्वारा अनुशंसा सहित प्रस्ताव राज्य शासन को प्रेषित किया जाएगा।

(दो) समितियों को आर्थिक सहायता दिये जाने हेतु प्रस्ताव में परिशिष्ट–1 में जानकारी प्रस्तुत की जावेगी।

(तीन) आर्थिक सहायता के प्रस्ताव में नियमों का उल्लंघन किये जाने पर दिए जाने वाली आर्थिक सहायता रोकने/स्थगित करने का अधिकार पंजीयक/राज्य शासन को होगा।

07. उपयोगिता प्रमाण पत्र :–

दी गई आर्थिक सहायता का उपयोगिता प्रमाण पत्र जिले के संयुक्त/उप/सहायक पंजीयक द्वारा सत्यापित कराकर पंजीयक सहकारी संस्थाएं को प्रस्तुत किया जावेगा। पंजीयक सहकारी संस्थाएं द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र राज्य शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।

08. विविध :–

(एक) राज्य शासन/पंजीयक को इस नियम के सुचारू रूप से संचालन एवं क्रियान्वयन के लिए आवश्यक प्रशासनिक मार्गदर्शन, निर्देश एवं स्पष्टीकरण जारी करने का अधिकार होगा।

(दो) इस नियम में संशोधन करने का अधिकार राज्य शासन को होगा ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. डी. सिंह, विशेष सचिव.

परिशिष्ट—1

आदिम जाति कृषि साख सहकारी समितियों को प्रबंधकीय अनुदान दिये जाने हेतु जानकारी

क्र.	जिला बैंक	विकास खण्ड	समिति का नाम	समिति को हुई हानि		विगत वर्ष में दी गई आर्थिक सहायता		प्रस्तावित आर्थिक सहायता राशि
				वर्ष	राशि	वर्ष	राशि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
योग								

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.